निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

करण संख्या 17/2022 ( धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)

ाज्य सरकार जरिये अशोक कुमार योगी, प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी कार्यालय जयपुर थम।

प्रार्थी

बनाम

ी सतवीर सिंह पुत्र श्री कप्तान सिंह, निवासी ग्राम मेहमदपुर, तहसील टोडाभीम, जिला करौलीं

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्त शुदा 11 घरेलू गैस सिलेण्डर (6 बी.पी.सी.एल., 3 आई.ओ.सी.एल. एवं 2 एच.पी.सी.एल.) 2 वाणिज्यिक सिलेण्डर आई.ओ.सी.एल मय एलपीजी 113.800 किलोग्राम एव 6 गैस स्थानान्तरण करने का यंत्र बांसुरी (4 पीतल व 2 लोहे) को राजसात (Confiscate) करने बाबत ।

उपस्थितः-

1. विभागीय पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री बाबूलाल बैरवा, अभिभाषक अप्रार्थी की और से।

निर्णय दिनांक 09.06.2025

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम से प्राप्त निर्देश की पालना में घरेलू गैस के अवैध भण्डारण एवं गैर रिफलिंग करने की सूचना प्राप्त होने पर प्रार्थी बहमराह प्रवर्तन स्टाफ एवं जाब्ता थाना रामनगरिया के साथ दिनांक 12.06.2022 को एस.के.आई. टी. रोड, रामनगरिया चौराहे पर स्थित दुकान की जांच की गई। दुकान की जांच करने पर 11 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी. क्षमता 14.2 किलोग्राम एवं 02 वाणिज्यिक सिलेण्डर 19 किलोग्राम क्षमता के पाये गये। अप्रार्थी द्वारा उक्त सिलेण्डर्स से छोटे गैस सिलेण्डर्स में गैस स्थानान्तरित करने के उपयोग में लिया जा रहा था। जिनको राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एव जब्त गैस सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील, विस्फोटक एवं जनहित के काम आने वाली वस्तु होने से धारा 6-ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील विस्फोटक एवं जनहित की वस्तु होने से धारा 6-ए, (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिनांक 27.06.2022 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण कराया जाकर पालना प्रतिवेदन भिजवावें। नोटिस अप्रार्थी को जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री बाबूलाल बैरवा ने वकालतनामा पेश किया। आगामी पेशी पर अप्रार्थी अभिभाषक उपस्थित नहीं आये। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस एक पक्षीय पैरोकार रसद सुनी गई।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि **एस.के.आई.टी. रोड, रामनगरिया चौराहे पर स्थित दुकान की जांच श्री सतवीर सिंह पुत्र श्री कप्तान सिंह की उपस्थिति में की गई। दुकान की जांच करने पर 11 घरेलू गैस सिलेण्डर (6 बी.पी.सी.एल., 3 आई.ओ.सी.एल. एवं 2 एच.पी.सी.एल.) 2 वाणिज्यिक सिलेण्डर आई.ओ.सी.एल एव 6 गैस स्थानान्तरण करने का यंत्र बांसुरी (4 पीतल व 2 लोहे) के पाये गये। अप्रार्थी द्वारा उक्त सिलेण्डर्स से छोटे गैस सिलेण्डर्स में 80 रूपये प्रति किलो की दर से गैस स्थानान्तरित करने के उपयोग में लिया जाता है। मौके पर मैसर्स आलोक भारत गैस प्रताप नगर, जयपुर के प्रतिनिधि श्री श्रवण लाल गुर्जर को बुला कर तौल कराया गया। तौल कराने पर गैस सिलेण्डरो में कुल 113.800 किलो ग्राम एल.पी.जी. पाई गई।** मौके पर अप्रार्थी द्वारा इस बाबत न तो कोई वैद्य दस्तोवज पेश किया गया और न ही अवैद्य भण्डारण के संबंध में कोई संतोषजनक जबाब दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा सामग्री को राजसात (Confiscate) करने के आदेश फरमावे।

5. विभागीय पैरोकार रसद को गौर से सुना । पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 12.06.2022 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

6. प्रार्थी द्वारा जब्त किये गये सिलेण्डर्स के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये। दौराने जांच मौके पर **11 घरेलू गैस सिलेण्डर (6 बी.पी.सी.एल., 3 आई.ओ.सी.एल. एवं 2 एच.पी.सी.एल.) 2 वाणिज्यिक सिलेण्डर आई.ओ.सी.एल मय एलपीजी 113.800 किलोग्राम एव 6 गैस स्थानान्तरण करने का यंत्र बांसुरी (4 पीतल व 2 लोहे) पाये गये है।** घरेलू एल.पी.जी. कम कीमत पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है, जिसका व्यावसायिक उपयोग किया जाना वर्जित है इसके बावजूद अप्रार्थी फर्म द्वारा उक्त **घरेलू गैस सिलेण्डर्स से अवैध रूप से छोटे गैस सिलेण्डर्स में स्थानान्तरित कर व्यावसायिक उपयोग में लिया जा रहा था।** उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थी की अवैध मुनाफा की आपराधिक मनःस्थिति एवं बदनियती स्पष्ट जाहिर होती है। इसलिए जब्त सिलेण्डर्स मय एलपीजी को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के कब्जे से जब्त **11 घरेलू गैस सिलेण्डर (6 बी.पी.सी.एल., 3 आई.ओ.सी.एल. एवं 2 एच.पी.सी.एल.) 2 वाणिज्यिक सिलेण्डर आई.ओ.सी.एल मय एलपीजी 113.800 किलोग्राम एव 6 गैस स्थानान्तरण करने का यंत्र बांसुरी (4 पीतल व 2 लोहे)** को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश दिये जाते है।

8. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में दिनांक **27.06.2022** को अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश दिये गये है तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें।

9. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो । पत्रावली फैसल शुमार हो कर दर्ज नम्बर से कम हो ।

10. निर्णय आज दिनांक 09.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner